



डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow

उत्तर प्रदेश सरकार

### कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा (5)(दो) में वर्णित व्यवस्थान्तर्गत मां बलिराजी सेवा संस्था, दूधनाथ रेलवे क्रासिंग, विन्ध्याचल, मिर्जापुर (मां बलिराजी सेवा संस्था, हरगढ़ बाजार, मिर्जापुर के अधीन संचालित) को विश्वविद्यालय के पत्र सं0-123/पत्रा. सं.-412/एफ34/DSMNRU-9/सम्बद्धता/2016-17, दिनांक 11.08.2016 द्वारा शर्तों-प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से स्ववित्त-पोषित योजनान्तर्गत B.Ed.Spl.Ed.(HI) पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु सम्बद्धता प्रदान की गयी थी। उक्त संस्था द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रमों को शैक्षणिक सत्र 2018-19 में संचालन के लिए सम्बद्धता विस्तारीकरण हेतु आवेदन किया गया, तत्क्रम में विश्वविद्यालय के पत्रांक : 1177/पत्रा.सं.-412ए/सम्बद्धता/DSMNRU/2018-19, दिनांक 17.10.2018 द्वारा वांछित मूलभूत सुविधाओं के अभाव में सम्बद्धता विस्तारीकरण नहीं किया गया।

तत्पश्चात् उक्त संस्था को भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली से शैक्षिक सत्र 2019-20 में विश्वविद्यालय द्वारा मात्र B.Ed.Spl.Ed.(HI) पाठ्यक्रम की सम्बद्धता विस्तारीकरण हेतु दिनांक 04 सितम्बर, 2019 को स्थलीय निरीक्षण कराया गया, जिसमें उक्त संस्था को शैक्षणिक सत्र 2019-20 में संगत पाठ्यक्रम B.Ed.Spl.Ed.(HI) के संचालन हेतु वांछित मूलभूत सुविधाओं में कतिपय कमियां पाये जाने के कारण निरीक्षण दल द्वारा सशर्त सम्बद्धता विस्तारीकरण की संस्तुति की गयी। उक्त संस्तुति के आधार पर विश्वविद्यालय की सम्बद्धता समिति द्वारा संगत पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बन्धित संस्थान में पायी गयी कमियों का अंकन इस पत्र के पिछले भाग में अंकित हैं, जिसे आगामी दो माह में पूर्ण कराने का निर्णय लिया गया।

अतः विश्वविद्यालय से अस्थाई रूप से सम्बद्ध सम्बन्धित संस्था में स्ववित्त-पोषित योजनान्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2019-20 में B.Ed.Spl.Ed.(HI) पाठ्यक्रम के संचालन हेतु वांछित मूलभूत सुविधाओं को आगामी दो माह में पूर्ण करने का अवसर प्रदान करते हुए उक्त आवेदन पत्र का निस्तारण उपरोक्तानुसार किया जाता है।

(अमित कुमार सिंह)  
कुलसचिव

पत्रांक : 1583/ फा0सं0-412/34/DSMNRU/सम्बद्धता/2019-20

दिनांक 10 दिसम्बर, 2019

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मा0 कुलपति, विश्वविद्यालय को सादर अवलोकनार्थ।
2. सदस्य सचिव, भारतीय पुनर्वास परिषद, बी-22, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110016।
3. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
4. परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय।
5. प्रबन्धक/सचिव/प्राचार्य, मां बलिराजी सेवा संस्था, हरगढ़ बाजार, मिर्जापुर के अधीन संचालित मां बलिराजी सेवा संस्था, दूधनाथ रेलवे क्रासिंग, विन्ध्याचल, मिर्जापुर-231307 (उ0प्र0)।
6. सिस्टम एनालिस्ट, विश्वविद्यालय को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाईल।

(अमित कुमार सिंह)  
कुलसचिव



डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ  
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow  
उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा (5)(दो) में वर्णित व्यवस्थान्तर्गत मां बलिराजी सेवा संस्था, दूधनाथ रेलवे क्रासिंग, विन्ध्याचल, मिर्जापुर (मां बलिराजी सेवा संस्था, हरगढ़ बाजार, मिर्जापुर के अधीन संचालित) को विश्वविद्यालय के पत्र सं0-123/पत्रा.सं.-412/एफ34/DSMNRU-9/सम्बद्धता/2016-17, दिनांक 11.08.2016 द्वारा शर्तों-प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से स्ववित्त-पोषित योजनान्तर्गत BASLP पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता प्रदान की गयी थी। उक्त संस्था द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रम को शैक्षणिक सत्र 2018-19 में संचालन के लिए सम्बद्धता विस्तारीकरण हेतु आवेदन किया गया, तत्क्रम में विश्वविद्यालय के पत्रांक : 1177/पत्रा.सं.-412ए/सम्बद्धता/DSMNRU/2018-19, दिनांक 17.10.2018 द्वारा वांछित मूलभूत सुविधाओं के अभाव में सम्बद्धता विस्तारीकरण नहीं किया गया।

तदक्रम में उक्त संस्था को भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली से BASLP पाठ्यक्रम की मान्यता प्राप्त न होने के कारण सम्बन्धित संस्था द्वारा स्थलीय निरीक्षण नहीं कराये जाने के अनुरोध के आधार पर विश्वविद्यालय की सम्बद्धता समिति द्वारा शैक्षणिक सत्र 2019-20 में संगत पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उक्त संस्थान को सम्बद्धता विस्तारीकरण प्रदान न करते हुए भविष्य में किसी भी पाठ्यक्रम में सम्बद्धता हेतु नवीन आवेदन (निर्धारित अद्यतन नियमों व शर्तों के अधीन) करने का निर्णय लिया गया।

अतः विश्वविद्यालय से अस्थाई रूप से सम्बद्ध उक्त संस्था में स्ववित्त-पोषित योजनान्तर्गत BASLP पाठ्यक्रम की मान्यता, भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली से प्राप्त न होने के कारण शैक्षणिक सत्र 2019-20 में संचालन सम्बन्धी आवेदन पत्र का निस्तारण उपरोक्तानुसार किया जाता है।

(अमित कुमार सिंह)  
कुलसचिव

पत्रांक : 982 / फा0सं0-412/34/DSMNRU/सम्बद्धता/2019-20

दिनांक 10 नवम्बर, 2019

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मा0 कुलपति, विश्वविद्यालय को सादर अवलोकनार्थ।
2. सदस्य सचिव, भारतीय पुनर्वास परिषद, बी-22, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110016।
3. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
4. परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय।
5. प्रबन्धक/सचिव/प्राचार्य, मां बलिराजी सेवा संस्था, हरगढ़ बाजार, मिर्जापुर के अधीन संचालित मां बलिराजी सेवा संस्था, दूधनाथ रेलवे क्रासिंग, विन्ध्याचल, मिर्जापुर-231307 (उ0प्र0)।
6. सिस्टम एनालिस्ट, विश्वविद्यालय को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाईल।

(अमित कुमार सिंह)  
कुलसचिव